(वाद सं0.-6818/4/39/2020)

09.11.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, जितनी देवी, के पति, पंचा महतो, की दिनांक–17.08.2019 को अपराह्न 01:30 में गंगा नदी में नाव से गिरकर डूबने से हुई मृत्यु से संबंधित धटना की सूचना स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को देने के बावजूद भी उनके द्वारा उसके पति के खोजबीन का प्रयास नहीं करने तथा अब तक अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, वैशाली** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, वैशाली** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, वैशाली एवं अंचल अधिकारी, बिदुपुर** के प्रतिवेदनानुसार **" परिवादी श्रीमती जितनी देवी के पति पंचा महतो, ग्राम–गोपालपुर, पो0–गोबिन्दपुर गोखुला, थाना–बिदुपुर, अंचल–बिदुपुर का गंगा नदी में डुबने से मृत्यु हो गया था। जिसके उपरान्त उनके निकटतम परिजन/आश्रित (उनकी पत्नी श्रीमती जितनी देवी) को चार लाख रू0 अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। "**

अब जबकि परिवादी को जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अनुग्रह अनुदान का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, वैशाली** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, वैशाली** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–27–13/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक